न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत निवाणा)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. बुगलाराम पुत्र श्री कल्याणसहाय जाति अहीर, निवारी ग्राम नारी का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गंगाबक्स पुत्र भूरा, जाति अहीर निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण.

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–59/2015

दिनांक:– 07.06.2018

निर्णय

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत निवाणा में पेश हुई। प्रकरण में सम्बद्ध पक्षकारगण उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.06.2016 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री का पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात पूर्व में प्राप्त हो चुका है, कुर्रेजात रिपोर्ट को सुना गया, उपस्थित पक्षकारान ने कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05.06.2017 पर अपनी सहमति जताई व उक्त कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी करने की इस्तदुआ की। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व उभयपक्षों की बहस पर बगौर मनन किया गया। न्यायालय अभिमत में हम सभी पक्षकारों की सहमति को मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिक्री करना उचित समझते है। अतः वादी का वाद उभयपक्षों की सहमति पर मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाके ग्राम निवाणा, पटवार हल्का निवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र खेजरोली, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275 रकबा 1.65 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 1.69 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है–

1. बुगलाराम पुत्र कल्याण सहाय जाति अहीर सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा चौमूं को खसरा नम्बर 1275/2 रकबा 0.845 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.845 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 3.21।
2. गंगाबक्स पुत्र भुरा जाति अहीर सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा निवाणा को खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275/1 रकबा 0.805 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.845 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 3.21।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिकी का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रे0) चौमूँ

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) चौमूँ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत निवाणा)

पीठासीन अधिकारी :– सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. बुगलाराम पुत्र श्री कल्याणसहाय जाति अहीर, निवासी ग्राम नारी का बास, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. गंगाबक्स पुत्र भूरा, जाति अहीर निवासी ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन, कार्यालय, चौमूं, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण.

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–59/2015 निर्णय दिनांक:– 07.06.2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी .... मिनजामिन मुददई रुबरु सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. बुगलाराम पुत्र कल्याण सहाय जाति अहिर सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा चौमूं को खसरा नम्बर 1275/2 रकबा 0.845 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.845 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 3.21।
2. गंगाबक्स पुत्र भुरा जाति अहीर सा0 देह राहिन ओ0बी0सी0 बैंक शाखा निवाणा को खसरा नम्बर 1274 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1275/1 रकबा 0.805 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.845 हैक्टेयर प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। लगान 3.21।

निजी ....x...मबलिक ....x..... बाबत ....x.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ......x.................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..x.... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.06.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रे0) चौमूँ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2	2. अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. .....रूपये पर प्लीडर कह फीस		4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5. कमिशनर की [illegible]	
6. कमिशनर की फीस		6. आदेशिका [illegible]	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड	4	जोड	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.02.09 12:02:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फा0 ट्रे0) चौमूँ

Scanned by CamScanner